तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राधेश्याम शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर) **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/407**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 377 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन में एक बिन्दू पर सूचना चाही गई के क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 289 दिनांक 31.07.2023 प्रेषित किया गया एवं अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2023 को दो पृष्ठ की सूचना प्राप्त कर ली है। कृपया अपील को खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पेश कर एक बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 289 दिनांक 21.07.2023 से अपीलार्थी को एक बिन्दु को सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है तथा अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2023 को दो पृष्ठ की सूचना प्राप्त कर ली है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0आरुषी मलिक) अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर। [stamp: संभागीय आयुक्त जयपुर]	